

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बी/उ.मै./2018-19

दिनांक 07.01.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा

विषय : अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक के लिए बजट आवंटन (राज्य निधि)

प्रसंग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पत्रांक प. 3(2)(7)/छात्र/अजा बजट/सा
न्या.अ.वि./18-19/1458-93 दिनांक 5/11/2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जाति के वर्ष 2016-17 व 2017-18 तक के वर्षों में
शेष रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2018-19 का राज्य निधि का आवंटन निम्नांकित जिला शिक्षा
अधिकारियों माध्यमिक को लेखामद 2225-01-789-01-00 13 उनके सामने अंकितानुसार बजट
आवंटित किया जाता है :-

| S.No. | DEOs(H.Q) | Office Id | AMOUNT |
|-------|----------------|-----------|----------|
| 1 | AJMER | 16289 | 3771131 |
| 2 | ALWAR | 6452 | 17206193 |
| 3 | BANSWARA | 21127 | 1514821 |
| 4 | BARAN | 21800 | 3713792 |
| 5 | BARMER | 13976 | 4010507 |
| 6 | BHARATPUR | 7236 | 6820023 |
| 7 | BHILWARA | 17971 | 7717209 |
| 8 | BIKANER | 3735 | 2441016 |
| 9 | BUNDI | 17137 | 3836223 |
| 10 | CHITTORGARH | 21402 | 2731866 |
| 11 | CHURU | 4492 | 7456295 |
| 12 | DAUSA | 8914 | 9034269 |
| 13 | DHOLPUR | 7576 | 2451138 |
| 14 | DUNGARPUR | 20897 | 1032621 |
| 15 | HANUMANGARH | 3282 | 6578045 |
| 16 | JAIPUR | 10196 | 10844596 |
| 17 | JAISALMER | 13291 | 245772 |
| 18 | JALORE | 14459 | 3268836 |
| 19 | JHALAWAR | 22087 | 3791840 |
| 20 | JHUNJHUNU | 5349 | 4333481 |
| 21 | JODHPUR | 13122 | 1769273 |
| 22 | KARALI | 8055 | 6222932 |
| 23 | KOTA | 21597 | 2594028 |
| 24 | NAGAU | 12261 | 66682 |
| 25 | PALI | 15571 | 3665052 |
| 26 | PRATAPGARH | 22191 | 1236859 |
| 27 | RAJSAMAND | 18401 | 2669375 |
| 29 | SAWAI MADHOPUR | 8468 | 5200399 |



| | | | |
|-------|---------------|-------|-----------|
| 30 | SIKAR | 11216 | 9101167 |
| 31 | SIROHI | 14800 | 3233316 |
| 32 | SRIGANGANAGAR | 2735 | 3842303 |
| 33 | TONK | 16781 | 5089169 |
| 34 | UDAIPUR | 20688 | 2677361 |
| TOTAL | | | 150167590 |

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे व विद्यार्थियों का आंशिक भुगतान नहीं किया जाये।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
4. उक्त बजट राशि का उपयोग का उपयोग दिनांक 20.01.2019 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करवायें।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 07-01-19

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बी/उ.मै./2018-19
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
3. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर